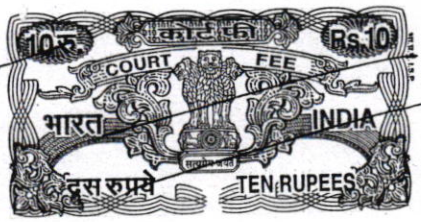

71

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप जबलपुर

निग – 3413 – I 16

निगरानी प्र0क0

छविलाल उर्फ छब्बीलाल
आत्मज सेवा उर्फ सेवाराम गौंड
निवासी खाम्ही तहसील लखनदौन
जिला सिवनी म0प्र0 ------ आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, नरसिंहपुर म0प्र0 ----- अनावेदक

कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर द्वाराप्रकरण कमांक 7/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 29–1–16 से व्यथित होकर निगरानी निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1– यहकि, कलेक्टर, नरसिंहपुर का आलोच्य आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2– यहकि, आवेदक द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया था कि आवेदक के नाम मौजा दिधारी नं.बं. 248 प.ह.नं. 22 रा. नि.मं. करलबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में भूमि खसरा नं. 31/6 रकबा 0.647 स्थित है । उक्त भूमि आवेदक का गृह निवास ग्राम खाम्ही रैयत तहसील लखनादौन जिला सिवनी से बहुत दूर है इसयिलए

छविलाल विरूद्ध म0प्र0 शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3413–एक/16 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 29–1–2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– यह प्रकरण आवेदक छविलाल उर्फ छब्बीलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा दिधारी नं. बं. 248 प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. करलबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर स्थित भूमि ख खसरा नं. 31/6 रकबा 0.647 को गैर आदिवासी व्यक्ति को विकय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर के माध्यम से नायब तहसीलदार, गोटेगांव को प्राप्त होने पर पर उनके द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः कुछ बिंदुओं पर जानकारी हेतु प्रकरण नायब तहसीलदार को वापिस किया । नायब तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारी पुनः अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर भेजी गई । तदुपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनंशंसा सहित प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया । जिस पर से कलेक्टर ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत	

भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कलेक्टर ने इस आधार पर कि विक्रय की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया है कि है कि आवेदित भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास मात्र 0.400 हैक्टर भूमि शेष बचेगी जिससे आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में आ जायेगा । किंतु उनका उक्त निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि आवेदक द्वारा आवेदित भूमि को विक्रय कर लगभग उतनी ही भूमि क्रय करने संबंधी कथन नायब तहसीलदार के समक्ष किया था । उक्त कथन को कलेक्टर महोदय द्वारा अनदेखा किया गया है । यदि आवेदक को सुना जाता तो वह उक्त तथ्य जिलाध्यक्ष महोदय के समक्ष रखता परंतु उसे बिना सुने आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है । यह भी कहा गया कि विक्रय हेतु आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की क्रय की गई भूमि है । शासन से पट्टे/व्यवस्थापन से प्राप्त भूमि नहीं है । जिलाध्यक्ष ने प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर आवेदक द्वारा क्रय की गई है । आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है इस कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भूमि का इकरारनामा गाइड

छविलाल विरूद्ध म0प्र0 शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3413–एक / 16 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	लाइन के आधार पर हुआ हे । आवेदित भूमि आवेदक के गृह निवास स्थान से लगभग 60 किलोमीटर दूर है । उसके साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है । भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थित हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है । कलेक्टर द्वारा इस तथ्य को भी अनदेखा किया गया है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष किए गए कथन में यह कहा गया कि वह जितनी भूमि विक्रय कर रहा है लगभग उतनी भूमि वह क्रय करेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेगा । आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है इस कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा जो आधार भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने हेतु बताए गए हैं,उनको देखते हुए आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, नरसिंहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–1–16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि स्थित मौजा दिधारी नं.बं. 248 प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. करलबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर स्थित भूमि खसरा नं. 31 / 6 रकबा 0.647 को गैर आदिवासी व्यक्ति को विक्रय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की	

-5-

R-3413-5/16

छविलाल विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों ए अभिभाषकों हस्ताक्षर
	जाती है । 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । 4– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एस0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	